

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला सागर दमोह सागर (म०प्र०)

क्रमांक ५९/नग्रानि/2016

सागर, दिनांक 16/03/2016

प्रति,

आयुक्त सह'संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म०प्र० भोपाल

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 931/सू०अ०/सामा./न०ग्रा०नि०/भोपाल दिनांक 25.2.16।

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अन्तर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी तैयार की जाकर आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

२१ ४ ५१०५  
संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला सागर (म०प्र०)  
२२

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर एवं दमोह

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभाग के कार्यपालन संबंधी 17 बिन्दु का मेनुअल

| क्रमांक                        | कार्य/लक्ष्य                                | उपलब्धियाँ   | दिनांक  |
|--------------------------------|---|--|---|
| <b>जिला सागर तहसील :- सागर</b> |   |  |   |
|                                | सागर निवेश क्षेत्र का गठन                   | म0प्र0 शासन नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1996/2166/33/75 भोपाल दिनांक 24.07.1975 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित किया गया ।   | म0प्र0 राजपत्र भाग-1 दिनांक 14.11.1975 में प्रकाशित                 |
| 2                              | सागर निवेश क्षेत्र का विस्तार               | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3348/4684/बत्तीस/77 भोपाल दिनांक 02.09.1977 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विस्तार किया गया । | 2 सितंबर 1977   |
| 3                              | सागर वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण          | म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत किये गये  | म0प्र0 राजपत्र भाग-3(1) दिनांक 18.11.1977 में प्रकाशित              |
| 4                              | सागर निवेश क्षेत्र का विस्तार               | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16(3)86-बत्तीस भोपाल दिनांक 25.01.1993 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विस्तार किया गया ।   | म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 21 दिनांक 25.01.1993 में प्रकाशित  |
| 5                              | सागर वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण          | म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत किये गये  | म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 119 दिनांक 16.04.1996 में प्रकाशित |
| 6                              | सागर विकास योजना 2011 अंगीकृत               | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-57-99/बत्तीस भोपाल दिनांक 18.02.2000 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अनुमोदित की गई ।     | म0प्र0 राजपत्र भाग-1 दिनांक 03.03.2000 में प्रकाशित                 |
| 7                              | सागर विकास योजना 2031 (प्रारूप) पुनर्विलोकन | म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया   | म0प्र0 राजपत्र भाग-1 दिनांक 28.02.2014 में प्रकाशित                 |
| <b>जिला सागर तहसील :- खुरई</b> |   |  |   |
| 8                              | खुरई निवेश क्षेत्र का गठन                   | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4679/6151/बत्तीस/76 भोपाल दिनांक 24.12.1976 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित किया गया ।    | म0प्र0 राजपत्र दिनांक 22.04.1977 में प्रकाशित                       |

Handwritten signature and date: 24/11/18

सागर तहसील :- गढ़ाकोटा

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| गढ़ाकोटा निवेश क्षेत्र का गठन | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4026/1519/बत्तीस/77 भोपाल दिनांक 22.10.1977 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित किया गया । | म0प्र0 राजपत्र भाग-2 दिनांक 10.03.1978में प्रकाशित |
|-------------------------------|--|--|


जिला दमोह तहसील :- दमोह

|    |                                    |  |   |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1  | दमोह निवेश क्षेत्र का गठन          | म0प्र0 शासन नगर एवं ग्रामीण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2490/1-69/तेतीस/73 भोपाल दिनांक 12.10.1973 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित किया गया ।      | म0प्र0 राजपत्र भाग-2 दिनांक 02.11.1973 को प्रकाशित ।                |
| 2  | दमोह वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण | म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत किये गये   | दिनांक 15.04.1977   |
| 3  | दमोह निवेश क्षेत्र का विस्तार      | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2651/32/1981 भोपाल दिनांक 20.05.1981 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13की उपधारा (2) के अन्तर्गत विस्तार किया गया ।       | दिनांक 20.05.1981   |
| 4  | दमोह वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण | म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत किये गये   | म0प्र0 राजपत्र भाग 3(1) दिनांक 07.05.1993 में प्रकाशित              |
| 5  | दमोह विकास योजना 2005 अंगीकृत      | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-3-13-बत्तीस भोपाल दिनांक 19.03.1998 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत की गई ।         | म0प्र0 राजपत्र(असाधारण)क्रमांक 84दिनांक20.03.1998 में प्रकाशित      |
| 26 | दमोह निवेश क्षेत्र का विस्तार      | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89/32/2011 भोपाल दिनांक 31.12.2011 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13की उपधारा (2) के अन्तर्गत विस्तार किया गया ।    | म0प्र0 राजपत्र भाग -1 दिनांक 20.01.2012 में प्रकाशित                |
| 27 | दमोह वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण | म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत किये गये ।   | म0प्र0 राजपत्र भाग-3 दिनांक 29.06.2012 में प्रकाशित                 |
| 28 | दमोह विकास योजना 2031 अंगीकृत      | म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-3/27-2013-बत्तीस भोपाल दिनांक 19.09.2013 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19की उपधारा (4) के अन्तर्गत अंगीकृत किया गया । | म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 440 दिनांक 19.09.2013 में प्रकाशित |

संयुक्त सचिव

जिला दमोह तहसील

क्रमांक :- 1 (अ) कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश सागर सेट अप



२२ ३ ५/८५  
संयुक्त संचालक

(ब) कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के शाखावार दायित्व / कार्य :-

1. योजना शाखा :- समय-समय पर शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार नगर की विकास योजना तैयार करने का कार्य एवं म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत विकास अनुज्ञाप जारी करने संबंधी कार्य ।
2. शोध शाखा :- विकास योजना तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़ों का संलग्न करना/अवैध विकास के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना एवं न्यायालयीन प्रकरण ।
3. सर्वेक्षण शाखा :- विकास योजना तैयार करने हेतु भौतिक सर्वेक्षण करना/वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
4. लेखा एवं स्थापना शाखा :- कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण, वेतन, आवक-जावक टाईपिंग आदि समस्त कार्यालयीन कार्य ।

५३ पाण्डे  
संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
सागर (म0प्र0)

सूचिका क्रमांक :-2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी।


| क्र. | कर्मचारी का नाम        | पद                | आबंटित कार्य   |
|------|------------------------|-------------------|--|
| 1    | श्री आर.के. पाण्डेय    | संयुक्त संचालक    | जिला कार्यालय प्रमुख के समस्त कार्य  |
| 2    | श्री सुनील जान मिश्र   | सहायक संचालक      | वर्तमान में छतरपुर कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी   |
| 1    | श्री एम.एल. कौल        | उपयंत्री          | सागर जिले के समस्त कार्य एवं सूचना के अधिकार का कार्य एवं समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।   |
| 2    | श्री एस.के. रेजा       | उपयंत्री          | दमोह जिले के समस्त कार्य आई.डी.एस.एम. टी. योजना संबंधी कार्य एवं सूचना के अधिकार का कार्य एवं समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।                   |
| 3    | श्री एम.व्ही. भट       | मानचित्रकार       | विकास योजना से संबंधित समस्त कार्य करेंगे।   |
| 4    | श्री जे.एल. जाटव       | सहायक मानचित्रकार | न्यायालयीन कार्य/विकास योजना संबंधी कार्य एवं लोकसेवा गारन्टी के कार्य जिसमें भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र तैयार कर संबंधित उपयंत्री को प्रस्तुत करेंगे। |
| 5    | श्री मालती विष्णुकर्मा | स्टोर कीपर        | लेखा कक्ष एवं स्टोर संबंधी कार्य करेंगी।   |
| 6    | श्री एस.पी. विल्थरे    | सहा. ग्रेड-2      | स्थापना/आवक-जावक / रिकार्डरूम से संबंधित कार्य करेंगे।   |
| 7    | श्री अरविन्द नायक      | वाहन चालक         | वाहन का रख-रखाव एवं लॉकबुक का संधारण करेंगे।   |
| 9    | श्री पी.सी. चढ़ार      | चैनमेन            | झाकवितरण कार्य एवं घन्टी सुनने का कार्य करेंगे।  |
| 10   | श्री डीरालाल चढ़ार     | भृत्य             | कोषालय संबंधी कार्य एवं घन्टी सुनने का कार्य करेंगे।   |
| 11   | श्री अ.च.सी. चढ़ार     | चैनमेन            | घन्टी सुनने का कार्य करेंगे।   |
| 12   | श्री गंगीरथ पटेल       | भृत्य             | घन्टी सुनने का कार्य करेंगे।   |
| 13   | श्री अब्दुल रशीद       | चौकीदार           | चौकीदार  |

टि.— उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय कोई भी कार्य पूर्ण करने हेतु दिया जा सकता है।

संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
सागर (मोप्र०)

बिन्दु क्रमांक :-3

कार्यालय में अपनाई जाने वाले निर्णय प्रक्रिया  
( नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक )



५७५०५१  
संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला सागर ( म०प्र० )

बिन्दु क्रमांक :- 4

कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा ।

1. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 में प्राप्त आवेदन का निराकरण सीमा 2 माह ( 60 दिन )।
2. नजूल/भूमि परिवर्तन प्रकरण में अभिमत बाबत समय सीमा एक माह ( 30 दिन )।
3. भूमि उपयोग प्रमाण पत्र बाबत समय सीमा 7 दिवस ।
4. सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन की समय सीमा एक माह ( 30 दिन )।

बिन्दु क्रमांक:- 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मेन्युअल की सूची ।

1. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
2. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012
3. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012
4. म0प्र0 अवकाश नियम
5. म0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियम
6. म0प्र0 यात्रा नियम
7. म0प्र0 चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम एवं अन्य विभाग से संबंधित

बिन्दु क्रमांक :- 6

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा वर्गीकरण ।

1. शोध शाखा :-
  - 1-न्यायालयीन प्रकरण नस्ती
  - 2-म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 36-37(अवैध निर्माण संबंधी सूचना-पत्र एवं नोटिस ) नस्ती ।
2. सर्वेक्षण शाखा :-सर्वे स्टाक पंजी
3. योजना शाखा -1-धारा -27 पंजी , धारा-28 पंजी , धारा -29 पंजी , भू-राजस्व संहिता के तहत प्राप्त प्रकरण पंजी , नजूल भूमि पंजी , नगर पालिक निगम से प्राप्त प्रकरण पंजी सामान्य प्रकरण पंजी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र पंजी एवं सूचना के अधिकार की पंजी ।
4. स्थापना शाखा :- 1 - उपस्थिति पंजी । 2. वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी 3. आकस्मिक अवकाश पंजी । 4 - आवक पंजी 5 - जावक पंजी 6- डाक टिकिट पंजी
5. लेखा शाखा :-1- यात्रा देयक पंजी 2- चिकित्सा देयक पंजी 3-वेतन रजिस्टर 4-मासिक व्यय पंजी 5- अग्रिमों की पंजी 6- अवितरित राशी पंजी 7-बिल रजिस्टर 8- बी0टी0बी0 बुक 9- चेक रजिस्टर 10-ड्राफ्ट रजिस्टर 11-सामुहिक बीमा 12- दूरभाष बिजली बिलपंजी 13-भवन किराया पंजी 14-विभागीय सामान्य निधि रजिस्टर

21/3/18

संयुक्त सचिव

नगर तथा ग्राम निवेश  
निराकरण शाखा



15 ट्रेजरी व्हाउचर इंड्राज पंजी । 16 - केश बुक 17- पेन्शन रजिस्टर  
 18-दैनिक वेतन भोगी एन0पी0एस0 कटौती रजिस्टर 19-सामान्य भविष्य निधि  
 अग्रिम रजिस्टर 20- बजट रजिस्टर 21- एफ0बी0सी0 रजिस्टर 22- चालान  
 रजिस्टर एवं मासिक राजस्व प्राप्तियों रजिस्टर एवं नस्ती

6 स्टोर :- 1- कार्यालयीन लेखन सामग्री पंजी 2- ड्राईंग सामग्री पंजी 3- विविध सामग्री पंजी  
 4-डेड स्टाक रजिस्टर 5- विकास योजना पुस्तकों पंजी 6- लायब्रेरी पंजी  
 7-वर्दी रजिस्टर एवं 8-वाहन रजिस्टर।

बिन्दु क्रमांक :- 7

परामर्श दायी समितियों की संरचना , उनक्रे सदस्य उनके सदस्य प्रतिनिधि उनके नाम  
 आदेश क्रमांक , निर्णय संबंधी सरक्यूलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक :-8

कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता  
 गठन संबंधी आदेश चार्टर/ अनुबंध से संबंधी जानकारी बैठक आहूत संबंधी शासन के निर्देश , आम  
 नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक :- 9 एवं 10

कार्यालय में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम ,पदनाम ,वेतन तथा सुविधायें ( यह  
 जानकारी कार्यालय एवं कोषालय दोनों जगह उपलब्ध रहेगी ।

| क्र | नाम                  | पदनाम          | वेतनमान          | सुविधायें   |
|-----|----------------------|----------------|------------------|---|
| 1   | श्री आर0 के0 पाण्डेय | संयुक्त संचालक | 15600-39100+7600 | म0प्र0 शासन के<br>कर्मचारियों को प्राप्त होने<br>वाली समस्त सुविधायें । |
| 2   | श्री सुनील जॉन मिन्ज | सहायक संचालक   | 15600-39100+5400 |   |
| 3   | श्री ए0 के0 हजेला    | अधीक्षक        | 9300-34000+3600  |   |
| 4   | श्री एस0पी0बिलथरे    | सहायक ग्रेड-2  | 5200-20200+2800  |   |
| 5   | कु0 मालती विश्वकर्मा | स्टोर कीपर     | 5200-20200+2800  |   |

संयुक्त संचालक  
 नगर तथा ग्राम निवेश

|    |                        |                   |                 |  |
|----|------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 6  | श्री एम0एल0 कौल        | उपयंत्री          | 9300-34000+3200 |  |
| 7  | श्री एस0के0 रेजा       | उपयंत्री          | 9300-34000+3200 |  |
| 8  | श्री एम0व्ही0भट        | मानचित्रकार       | 9300-34000+3200 |  |
| 9  | श्री जे0एल0जाटव        | सहायक मानचित्रकार | 5200-20200+2400 |  |
| 10 | श्री अरविंद नायक       | वाहन चालक         | 5200-20200+2800 |  |
| 11 | श्री हुकुमचंद चढ़ार    | चैनमेन            | 5200-20200+1900 |  |
| 12 | श्री प्रकाशचंद्र चढ़ार | चैनमेन            | 5200-20200+1800 |  |
| 13 | श्री हीरालाल चढ़ार     | भृत्य             | 5200-20200+1800 |  |
| 14 | श्री शेरुसिंह पाल      | भृत्य             | 5200-20200+1800 |  |
| 15 | श्री भागीरथ पटेल       | भृत्य             | 5200-20200+1800 |  |
| 16 | श्री ए0आर0खान          | चौकीदार           | 5200-20200+1300 |  |

बिन्दु क्रमांक -11

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार, बजट आबंटन तथा उनके उपयोग संबंधी जानकारी कार्यालय एवं कोषालय में उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक -12

विभाग के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची, हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाले संस्था, वर्षवार आबंटित राशी तथा हितग्राहियों की संख्या, इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे

निरंक

बिन्दु क्रमांक -13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधायें ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक -14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची श्रेणी तथा उनकी प्रकृति - हार्ड कापी में उपलब्ध है।

२६ ७ ५०८५

संयुक्त सचिव  
नगर विकास प्रांग निदेश